आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कारवाई के बा टिप्पणी तारीख साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं० 75/14–15

बबन यादव वनाम् मो० समुन्दरी देवी

आदेश

29.11.14

आवेदक बबन यादव,पिता स्व० राम रतन यादव, ग्राम–भदासी टोला–मेहरवान विगहा, थाना+जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर अधिकार का प्रख्यापन करने,भूमि का सीमांकन करने एवं दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि,जो ग्राम–भदासी,टोला–मेहरवान विगहा, थाना + अंचल+जिला–अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
273	31	2 डी०	उतर– समुद्री देवी दक्षिण– नीज पूरब– नीज पश्चिम– ग्रामीण,सोलिग पथ

वाद की प्रविष्टी की गई। प्राधिकार से विपक्षी के उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदक को दिनांक 11.05.1989 को अपने नाना से दान पत्र से प्राप्त भूमि है।

(2) विवादित भूमि का राजस्व रसीद आवेदक के पक्ष में कट रहा है।

(3) विपक्षी बा–जबरदस्ती भूमि को हड़पने की कुसित प्रयास करती रहती है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) आवेदक द्वारा विवादित भूमि खाता,प्लॉट में कुल कितना रकवा है,उल्लेख नहीं किया है।

(2) विवादित भूमि में उल्लेख नहीं किया है कि कुल रकवा में कितने हिस्सेदार है और किस हिस्सेदार को कितना हिस्सा मिला है।

(3) आवेदक द्वारा तंग तवाह करने के नियत से यह वाद लाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना,एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित भूमि पर दावा दान पत्र के आधार पर किया है जो आवेदक के नाना श्री मुखलाल सिंह ने दिनांक 18.05.1989 को ललन यादव और बबन यादव दोनों पिता राम रतन यादव को निबंधित दान पत्र के माध्यम से दान में दिये है। विपक्षी द्वारा विवादित भूमि पर दावा के आधार के संबंध में कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है। अतः विवादित भूमि पर आवेदक के अधिकारों का प्रख्यापन की जाती है। साथ ही प्राधिकार विपक्षी को विवादित भूमि पर कब्जा करने के प्रयास को मना करती है। प्राधिकार अंचल अधिकारी अरवल को आदेश देती है कि एक माह के बाद विवादित भूमि की मापी कराकर दखल कब्जा दिलाये। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

29.11

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

29.11

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।